

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प. 12(3) राज/वाद/2024

जयपुर दिनांक 20.08.24

:: आदेश ::

राजस्थान के माननीय राज्यपाल महोदय की आज्ञा से श्रीमती संस्कृति पाठक, अधिवक्ता (पंजीयन क्रमांक डी/3764/2010) को माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष राजस्थान राज्य की ओर से प्रकरणों के संचालन/पैरवी करने हेतु कार्यभार संभालने की तिथि से अतिरिक्त महाधिवक्ता, नई दिल्ली के पद पर अग्रिम आदेशों तक के लिए तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया जाता है।

इनकी नियुक्ति संबंधी सामान्य निबन्धन एवं शर्तें तथा पारिश्रमिक राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित आदेशों के अनुसार होंगे। अतिरिक्त महाधिवक्ता अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त "दि राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफैयर्स डिपार्टमेंट मैनुअल, 1999" के नियम 7 से 10 एवं राजकीय वादकरण नीति-2018 (यथा संशोधित) में अंकित कर्तव्यों की भी पालना करेंगे।

आज्ञा से


हो

(ब्रजेन्द्र कुमार जैन)

प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
3. सेक्रेटरी जनरल, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
5. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, विद्वान महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
8. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता, राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ।
9. समस्त राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, प्रशासक वादकरण, गवर्नमेंट काउन्सिल, राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ।
10. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता/एडवाकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
11. समस्त जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक/विभागाध्यक्ष।
12. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजस्थान।
13. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
14. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
15. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
16. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
17. संबंधित अधिवक्ता।
18. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
19. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ।
20. आहरण एवं वितरण अधिकारी/लेखा शाखा, वादकरण।
21. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने तथा राजस्थान राज-पत्र के आगामी अंक में प्रकाशन कराये जाने हेतु।
22. रक्षित पत्रावली।

  
(महेश पुनेठा)  
विशिष्ट शासन सचिव